राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II जयपुर, दिनांक 19.07.2016

आदेश

राज्य में विभिन्न राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ भामाशाह योजना के माध्यम से हस्तान्तरित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी जिलों में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर 2 दिवसीय समस्या समाधान शिविर का आयोजन दिनांक 25 जुलाई, 2016 से 5 अगस्त, 2016 के मध्य किया जाना है। उक्त शिविरों में भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से पॉस मशीनों द्वारा राशन वितरण तथा NFSA पात्रता से संबंधित शंकाओं का समाधान किया जाना है। साथ ही किसी भी पात्र परिवार को राशन मिलने में समस्या न हो इस हेतु रसद विभाग के कार्मिकों एवं राशन डीलर्स की आमुखीकरण कार्यशालायें जिला स्तर पर आयोजित किया जाना अपेक्षित है।

इस क्रम में विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ. 13(49)खा.वि./आवंटन/2015–II दिनांक 30.06.2016 की निरंतरता में निम्न निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जाए–

1. विभाग की NFSA पात्रता की इलेक्ट्रॉनिक सूची ही अधिकृत सूची है। अतः उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा किसी भी अन्य सूची अथवा रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाए।
2. NFSA पात्रता की ई–सूची में यदि किसी वास्तविक पात्र परिवार का नाम नहीं जुड़ा है, तो संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष परिपत्र दिनांक 05.11.2015 के बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप अपील की जा सकेगी। ऐसे परिवार की अपील स्वीकार होकर पात्रता में नाम जुड़ने पर परिवार अपील करने के माह से राशन प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इस हेतु यह व्यवस्था की जानी है कि यदि कोई व्यक्ति उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री लेने हेतु आता है तथा उसका नाम पात्रता सूची में नहीं है तो उसे एक स्लिप दी जाकर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है। अपील करने हेतु केवल उपखण्ड अधिकारी ही अधिकृत होगा तथा आवश्यकतानुसार वह प्राधिकृत अधिकारियों (जिला रसद अधिकारी/विकास अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका) से जॉच कराकर निर्धारित समयावधि में निर्णय पारित करेगा।
3. उचित मूल्य दुकानदारों को इलेक्ट्रोनिक सूची का प्रिंटआउट, यूनिट रजिस्टर के रूप में प्रमाणित कर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही वितरण रजिस्टर के रूप में e-PDS software से वितरण का मासिक प्रिंटआउट लेकर

उसे स्वयं प्रमाणित कर संकलित करेंगे। इस प्रिंटआउट को ई–मित्र से 2 रूपये प्रति पृष्ठ भुगतान कर भी प्राप्त किया जा सकेगा।

4. पंचायत समिति स्तरीय शिविरों में NFSA की पंचायतवार सूची उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे शिविर पश्चात् पंचायतों पर जनसामान्य के अवलोकन हेतु रखा जाएगा। सूची के अवलोकन पश्चात् पात्रता से वंचित परिवारों द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहाँ अपील की जा सकेगी, जिन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।
5. कतिपय जिलों में पात्रता हेतु निर्धारित संख्या से अधिक चयनित NFSA पात्र परिवारों का पंजीयन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 30.06.2016 के बिन्दु संख्या 5 में यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे परिवार जिनके नाम NFSA सूची के पात्र परिवारों में दर्ज हैं, परन्तु वो राशन नहीं उठा रहे हैं, उनके नाम abeyance में रखे जायेंगे। Abeyance का तात्पर्य NFSA के पात्र परिवारों को राशन से वंचित रखना नहीं है बल्कि उनकी पात्रता की सही जॉच करना है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि abeyance में रखे गये परिवार भी सूची में बने रहेंगे तथा उन्हें bio-metric सत्यापन से राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उनके द्वारा आगामी महिनों में लगातार राशन नहीं लिये जाने की स्थिति में ही सक्षम स्तर पर विधिवत जॉच कर एवं तत्संबंधी निर्णय लेकर सूची से पृथक किया जा सकेगा। इसी प्रकार NFSA पात्र प्रमाणित परिवारों द्वारा भी लगातार bio-metric प्रमाण से राशन नहीं लेने पर जिला कलक्टर द्वारा उनकी जॉच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
6. NFSA पात्र परिवार की भामाशाह/आधार सीडिंग नहीं होने अथवा अंगूठा/अंगुली का निशान PoS से पहचान नहीं होने के साथ–साथ मोबाईल नंबर भी दर्ज नहीं होने की स्थिति में भी माह अगस्त, 2016 से राशन PoS से देने की व्यवस्था की जा रही है।

अतः जिलों में प्रशिक्षण उपरान्त रजिस्टर से राशन वितरण की व्यवस्था समाप्त कर ऐसे लाभार्थी परिवारों के लिये भी PoS से वितरण की व्यवस्था शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी, जिसके विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

रसद विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में उक्त कार्यवाही का समुचित प्रचार–प्रसार करने एवं समुचित प्रबोधन करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन तत्काल किया जाए।

उक्त निर्देशों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित की जाए।

19/7/16

(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(49)खा.वि./आवंटन/2015-।। जयपुर, दिनांक 19.07.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, उपयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
13. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
14. रक्षा पत्रिका।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव